



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2002/वैशाख 16, 1924

No. 92]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2002/VAISAKHA 16, 1924

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2002

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 का 40(1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1981 (3) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः :

- (i) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2002 कहा जा सकेगा।
(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1981 में विनियम 20 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“(4) कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से 25,000 रुपए से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति का स्वामित्व लेता है या ऐसी सम्पत्ति रखता है तो वह इससे संबंधित प्रत्येक लेन-देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।”

अर्थात् कि ऐसा लेन-देन

(क) अधिकारी कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन करने वाले व्यक्ति के साथ, या

(ख) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी को छोड़ कर अन्य के साथ किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति ली जाएगी।

सरूप सिंह, उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/134/02]

PUNJAB AND SIND BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2002

In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the

previous sanction of the Central Government. hereby makes the following Regulations to amend the Punjab & Sindh Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981 namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Punjab & Sindh Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations 1981, in regulation (20), for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) Every Officer employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 25,000

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is :—

- (a) with a person having official dealings with the Officer employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer."

SAROOP SINGH, Dy. General Manager (Personnel)

[No. ADVT-III/IV/Exty/134/02]